प्रेषक,

अनिल कुमार–VIII
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0 3, लखीमपुर खीरी।

सेवा में,

श्रीमन् महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा श्रीमन् जनपद न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

विषय वर्ष 2022–2023 में श्रीमन् जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिये गये वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि { रिमार्क कालम 01(e) प्राचीनतम वाद एवं रिमार्क कालम 01(e)ii} एक्शन प्लान से सम्बन्धित वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन –

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि श्रीमन् जनपद न्यायाधीश महोदय, लखीमपुर खीरी द्वारा गोपनीय प्रविष्टि के रिमार्क 01(e) कालम में प्राचीनतम पत्रावली के निस्तारण के सम्बन्ध में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि प्रार्थी द्वारा 31 फौजदारी वाद तथा 17 दीवानी वाद का निस्तारण किया गया जिनमें दस वर्ष एवं पांच वर्ष प्राचीन वाद सम्मिलित है, "which is not too good." इसके अतिरिक्त श्रीमन् जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा रिमार्क 01(e)ii कालम में एक्शन प्लान से सम्बन्धित निस्तारित वादों के सम्बन्ध में अभिमत प्रकट किया गया कि "Disposal of Action plan cases is not good." उपर्युक्त अभिमत के सम्बन्ध में प्रार्थी का निम्न निवेदन है–

1. वित्तीय वर्ष 2022–2023 की अवधि में प्रार्थी दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 04.07.2022 तक न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 19, कानपुर नगर, दिनांक 06.07.2022 से दिनांक 21.01.2023 तक न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) लखीमपुर खीरी, दिनांक 23.01.2023 से दिनांक 31.03.2023 तक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 5 लखीमपुर खीरी न्यायालयों में कार्यरत रहा। प्रार्थी को पूरे एक वित्तीय वर्ष में एक ही न्यायालय में कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका।

2. प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.07.2022 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) लखीमपुर खीरी, न्यायालय में कार्यभार ग्रहण किया गया। उक्त न्यायालय में एक्शन प्लान के अन्तर्गत निस्तारित की जाने वाली वादों की सूची के अन्तर्गत मेरे द्वारा 11 वाद निस्तारित किये गये हैं तथा एक्शन प्लान के अन्तर्गत चिन्हित सत्र परीक्षण सं0 974/2007, सत्र परीक्षण सं0 536/2006, सत्र परीक्षण सं0 380/2010, सत्र परीक्षण सं0 90/2004 एवं सत्र परीक्षण सं0 427/2010 की पत्रावलियों में शेष अभियोजन साक्ष्य अंकित कर धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण का बयान अंकित किया गया तथा एक्शन प्लान से सम्बन्धित विभिन्न सत्र परीक्षण जिनमें अभियुक्तगण अनुपस्थित थे, की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु बाध्यकारी आदेशिका निर्गत की गयी। इस प्रकार

प्रार्थी द्वारा एक्शन प्लान से सम्बन्धित पत्रावलियों के निस्तारण हेतु यथासंभव प्रयत्न किया गया।

3. प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में दिनांक 23.01.2023 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 5 का कार्यभार ग्रहण किया गया जो पूर्व से रिक्त रही है तथा न्यायालय में श्रीमन् जनपद न्यायाधीश के आदेश के अनुक्रम में विभिन्न न्यायालयों से पत्रावलियां अन्तरित होकर प्राप्त हुई। न्यायालय रिक्त होने के कारण न्यायालय में एक्शन प्लान के अन्तर्गत निस्तारित होने वाले वादों की सूची नहीं बनायी गयी किन्तु अन्तरण द्वारा प्राप्त पत्रावलियों में से प्राचीनतम पत्रावलियों का चयन कर माह फरवरी सन् 2023 से माह मार्च सन् 2023 के मध्य प्रार्थी द्वारा 10 सत्र परीक्षण वाद का निस्तारण किया गया जिनमें दस वर्ष से अधिक प्राचीन 6 पत्रावली एवं पांच वर्ष से अधिक प्राचीन 3 पत्रावली सम्मिलित है।

4. महोदय के समक्ष सादर यह तथ्य प्रस्तुत करना है कि माह जुलाई 2022 से माह मार्च 2023 के मध्य प्रार्थी के न्यायालय में नियुक्त आशुलिपिक, को इस न्यायालय के अलावा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 न्यू न्यायालय में भी कार्य किये जाने हेतु सम्बद्ध किया गया था। उपरोक्त परिस्थितियों के पश्चात भी प्रार्थी द्वारा 26 फौजदारी वाद एवं 31 दीवानी वाद कुल 57 वाद गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा 10 वर्ष से अधिक प्राचीन 17 वाद एवं 5 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य के कुल 30 वाद एवं राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 वाद तथा 28 इजराय वाद निस्तारित किये गये। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा 1329 पेज साक्ष्य अंकित किये गये तथा 69 पत्रावलियों में आरोप विरचित किये गये व 134 जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कार्य मानक 1200 यूनिट के सापेक्ष 1473.08 यूनिट का कार्य किया गया।

5. प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023 की अवधि में पूर्ण लगन एवं निष्ठा से कार्य किया गया और यदि प्रार्थी को एक ही न्यायालय में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता तो प्रार्थी निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक्शन प्लान एवं प्राचीनतम वाद के मानक को पूर्ण कर लेता।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि कालम सं0 01(e), प्राचीनतम वाद के निस्तारण के सम्बन्ध में दिया गया रिमार्क "which is not too good." एवं कालम सं0 01(e)ii, एक्शन प्लान से सम्बन्धित पत्रावलियों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिया गया रिमार्क "Disposal of Action plan cases is not good." को सुधारने और समग्र आकलन के उन्नयन के लिए यह प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर!

भवदीय,

(अनिल कुमार–VIII)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0 3, लखीमपुर खीरी।
J.O. Code UP6492

दिनांक 31.05.2023

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी
संख्या 611 / एफ-31-22 दिनांक 31-05-2023
अग्रसारित
जिला न्यायाधीश
लखीमपुर खीरी
31-5-22